# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

**मुटेशन रिविजन केस नं0–32/23–24**

**अजीत सिंह**

**बनाम्**

**सत्यनारायण सिंह**

## –: आदेश :–

दिनांक 25/6/24

प्रविष्टि बिन्दु पर रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

रिविंजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0–3/2023–24 के आदेश दिनांक–05.08.2023 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गंगटाखूर्द के जमाबंदी सं0–28 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में धुरन सिंह, हारू सिंह एवं अन्य के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत हारू सिंह अपने पीछे दरबारी सिंह को छोड़कर फौत कर गये। दरवारी सिंह को पाँच पुत्र क्रमशः कुलदीप सिंह, विजय सिंह, सत्यनारायण सिंह(उत्तरवादी सं0–1), अजित सिंह (रिविजनकर्त्ता) एवं भीखन सिंह हुए। अपने पिता की मृत्यु के बाद सभी अपने पिता की जमीन पर दखलकार हुए एवं जोत आबाद करने लगे। उपरोक्त जमाबंदी सं0–28 के अन्तर्गत दाग नं0–1155 रकवा 01–10–00 धुर जमीन का बँटवारा नहीं किया गया है। लेकिन उत्तरवादी सं0–1 ने जाली बँटवारा के आधार पर दाग नं0–1155 रकवा 01–10–00 धुर जमीन पर दावा किया गया। चूँकि उक्त बँटवारा में रिविजनकर्त्ता का हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन फिर भी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने उक्त जाली बँटवारानामा के आधार पर उत्तरवादी सं0–1 के नाम से उक्त जमीन का नामांतरण करने के लिए आदेश दिया गया है, जो नियम संगत नहीं है। इसलिए रिविजनकर्त्ता ने रिविजन आवेदन को अंगीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने बँटवारा के आधार पर नियम संगत आदेश पारित किया है। इसलिए रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निबंधित बँटवारा के द्वारा आपस में जमीन का बँटवारा

किया गया है। उक्त बँटवारा में रिविजनकर्त्ता अजित सिंह का भी हस्ताक्षर है। उक्त बँटवारानामा के आधार पर निम्न न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त बँटवारानामा के अनुसार प्रश्नगत जमीन उत्तरवादी सं0–1 सत्यनारायण सिंह की हिस्से की जमीन है एवं उस पर वे दखलकार है। ऐसी स्थिति में रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:00:51 +05:30
Location: 192.168.1.54